महत्वपूर्ण एवं खास

दिल्ली जा रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी

बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)। बिलासपुर से दिल्ली जा रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। खबर के बाद यात्रियों को आनन-फानन में उतारा गया, जिसके बाद फ्लाइट की जांच की गई इसमें यह धमकी अफवाह निकली। इस दौरान यात्रियों में अफरातफरी की स्थिति भी बन गई थी। दरअसल, कोलकाता से आ रही फ्लाइट नंबर 91763 3.30 बजे बिलासपुर पहुंची थी और दिल्ली रवाना हो रही थी। गुरुवार को 85 फ्लाइट्स को ऐसी धमकी मिली जिसमें से एक की जांच बिलासपुर में की गई। विमान लैंडिंग होते ही उसे आईशोलेशन-बे में खड़ा किया गया और विमान में बैठे सभी यात्रियों को उतार कर टर्मिनल भवन में लाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एअर इंडिया की 20, इंडिगो की 20, विस्तारा की 20 और अकासा की 25 फ्लाइट्स शामिल हैं। बिलासा देवी केवटीन एयरपोर्ट के एक्स आईडी पर भी धमकी मिली। इस धमकी की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट के अफसरों ने तत्काल कोलकाता की फ्लाइट को रोक दिया। खबर मिलते ही बम स्क्वायड मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह भी सुरक्षाबल के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। बम स्क्वायड के साथ ही फायर बिग्रेड की टीम को भी एयरपोर्ट बुला लिया गया।

मकान खाली करने के नाम पर 10 लाख की मांग, जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। मकान खाली करने के नाम पर 10 लाख की मांग करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थिया की शिकायत पर राजेन्द्र नगर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया सुगंधा सिंह भंडारी 40 वर्ष वीआईपी रोड अमलीडीह की रहने वाली है। प्रार्थिया ने थाना में शिकायत किया कि उसके पति का परिचित आरोपी संजय मोहंती और अमीत मोहंती को उसने अपने मकान में नि:शुल्क रहने दिया। अब मकान को खाली करने को बोल रहे है, तो आरोपीगण प्रार्थिया से 10 लाख की मांग कर रहे है। प्रार्थिया की शिकायत पर राजेन्द्र नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। अमलीडीह में शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थिया की शिकायत पर राजेन्द्र नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार अमलीडीह निवासी 29 वर्षीय प्रार्थिया ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी सुजीत निराला ने प्रार्थिया को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया और शादी से इंकार कर दिया। प्रार्थिया की शिकायत पर राजेन्द्र नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

घर के बाहर खड़ी बाइक पार

रायपुर (आरएनएस)। डब्ल्यूआरएस कालोनी बालाजी चौक के पास खड़ी बाइक को अज्ञात चोर ने पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी रंजीत दीप 47 वर्ष डब्ल्यूआरएस कालोनी का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि वह अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 एमएल 7359 को घर के बाहर खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 15 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

चाकू लहराते युवक पकड़ाया

रायपुर (आरएनएस)। कोतवाली पुलिस ने नेहरूनगर ढलान के पास चाकू लहराते एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नेहरूनगर ढलान के पास दबिश देकर चाकू लेकर आतंक फैलाते आरोपी अभय साहू 18 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू जब्त किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का विस्तार : अब 159 रेलवे स्टेशनों में पूरा हुआ काम

रायपुर। आरएनएस

सुरक्षित रेल परिचालन को सुनिश्चित करने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के विस्तार में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अब तक कुल 159 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग करने का लक्ष्य है, जिसमे 06 स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग किया जा चूका है। शेष स्टेशनों पर भी भविष्य में यह आधुनिक प्रणाली स्थापित की जाएगी।

वर्तमान समय में इस परियोजना को प्रधान मुख्य सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में नई तकनीकों को अपनाकर रेल संचालन को अधिक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय बना रहा है। यह नई तकनीक रेलवे संचालन में सुरक्षा और दक्षता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करती है, जिससे यात्री और माल परिवहन को एक नई दिशा और आयाम प्राप्त हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग तकनीक में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, जो विभिन्न रेल मार्गों पर गाडिय़ों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली पुरानी यांत्रिक और रिले आधारित इंटरलॉकिंग प्रणालियों की जगह लेती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को नई तकनीकों जैसे कि स्वचालित सिग्नलिंग और कवच (स्वदेशी ट्रेन टकराव रोधी प्रणाली) के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के आधार पर लागू किया जा रहा है, जिससे रेल परिचालन क्षमता और संरक्षा दोनों में सुधार हो रहा है। यह भविष्य की प्रौद्योगिकियों के साथ रेल प्रणाली को और अधिक उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की यह है खासियत

उच्च संरक्षा: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में डिजिटल तकनीक का उपयोग होता है, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। वहीं पैनल और रिले इंटरलॉकिंग में मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है। इसमें मैन्युअल हस्तक्षेप नहीं होने के कारण ग़लती होने की संभावना बेहद कम हो जाती है।

कम स्थान की आवश्यकता: पैनल/रिले इंटरलॉकिंग प्रणाली में बड़े पैनलों, अधिक रिले रैक और तारों की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में सॉफ़्टवेयर और न्यूनतम हार्डवेयर की जरूरत होती है, जिससे यह कम स्थान लेता है।

रियल-टाइम मॉनिटरिंग: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली वास्तविक समय में सिग्नल, ट्रैक, और ट्रेन मूवमेंट की निगरानी करने की सुविधा देती है, जिससे किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकता है।

कम रखरखाव लागत: पुराने सिस्टम की तुलना में इस प्रणाली के रखरखाव में कम समय और लागत लगती है। पैनल और रिले इंटरलॉकिंग में कई बार तकनीकी खराबियों के चलते उच्च रखरखाव की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्वचालित होती है और इसे कम रखरखाव की जरूरत होती है।

दीर्घकालिक लागत बचत: पैनल/रिले इंटरलॉकिंग के मुकाबले, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की शुरुआती लागत अधिक हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह अधिक लागत प्रभावी होती है, क्योंकि इसके रखरखाव में कम लागत होती है।

विस्तार में आसानी: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में भविष्य के उन्नयन और विस्तार के लिए अधिक लचीलापन होता है साथ ही नई तकनीकों जैसे कि स्वचालित सिग्नलिंग और कवच (स्वदेशी ट्रेन टकराव रोधी प्रणाली) के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक प्रणालियों में यह काफी जटिल और महंगा होता है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु मतदाता सूची का किया गया प्रारंभिक प्रकाशन

❐ मतदाता सूची दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर

सारंगढ़ बिलाईगढ़

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के मतदाता सूची का प्रकाशन 24 अक्टूबर को किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने विगत दिवस राजनीतिक दलों और मीडिया की संयुक्त बैठक लेकर जानकारी दिए थे, जिसमें प्रेस प्रतिनिधिगण, राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों में अजय गोपाल, मनोज जायसवाल, हरिनाथ, अरुण मालाकार, राजकुमार अग्रवाल, विकास, नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान, सहायक अधीक्षक कमलकांत स्वर्णकार आदि उपस्थित थे।

बैठक में जानकारी दी गई थी कि जनपद पंचायत सारंगढ़ के 129, जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के 122 और जनपद पंचायत बरमकेला के 96 ग्राम पंचायत में निर्वाचन होगा, जिसमें कुल वार्ड 4662 है। दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29.10.2024 दिन मंगलवार अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है। दावे आपत्ति के निपटारे की अंतिम तिथि 04.11.2024 दिन सोमवार है। ऐसे मतदाता जिन्होंने 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है, जिनका नाम विधानसभा निर्वाचक नामावली में नहीं है, विधानसभा सूची में नाम जोड़वाने की अंतिम तिथि, दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 08.11.2024 दिन शुक्रवार अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है। निराकरण की अंतिम तिथि 14.11.2024 दिन गुरूवार है।मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन की तिथि 29.11.2024 दिन शुक्रवार है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पारित आदेश के विरूद्ध कलेक्टर न्यायालय में अपील करने की तिथि पारित आदेश के 05 दिवस के भीतर निर्धारित है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 निकट भविष्य में होना है। इस आम निर्वाचन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ को नये जिले गठन के उपरांत यह प्रथम त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन है। इस निर्वाचन में जिले के तीनों जनपद पंचायत (सारंगढ़, बरमकेला, बिलाईगढ़) जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं सभी वार्डों के पंचों का निर्वाचन होना है। शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में खम्हरिया पंचायत के परिसीमन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए मतदाता सूची बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। किसी भी निर्वाचन में निर्वाचक नामावली एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी शुद्धता एवं सभी निर्वाचकों का नाम शामिल होना आवश्यक है। अब जो मतदाता सूची बनाया जा रहा है, यह 01 जनवरी 2024 की स्थिति में बनाया जाएगा। अर्थात ऐसे मतदाता जिन्होंने 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है. मतदाता सूची में नाम शामिल होने के हकदार है। किसी भी मतदाता को एक से अधिक स्थानों के मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं किया जाएगा। जहां उसका निवास है, जहां वह रात्रि विश्राम करता है, वहां के वार्ड में ही नाम शामिल करने का हकदार होगा। मतदाता को अपने स्वेच्छा से वार्डों में नाम शामिल करने का अधिकार नहीं है।

घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, 11 सिलेंडर जब्त

रायपुर। आरएनएस

न्यायधानी में खुलेआम बिकने वाली घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार को छापेमारी करते हुए 11 अवैध गैस सिलेंडर बरामद किया है तथा दुकान संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही किया है। शहर में घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग करने अवैध रूप से कालाबाजारी करने की खाद्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद विभागीय टीम ने ऐसे लोगों पर छापा मारने की योजना बनाई और इसके बाद छापामार कार्यवाही की गई। ज्ञात हो कि शहर के बर्तन दुकान, मेटल स्टोर्स यहां तक कि जनरल स्टोर्स में भी आसानी से घरेलू गैस सिलेंडर को अवैध रूप से रखकर रिफलिंग करने का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भी विभागीय कार्यवाही नहीं हो रही थी। शिकायतों का अंबार लगने के बाद आखिरकार विभाग नींद से जागी और अब शहर में लगातार छापा मार कार्यवाही किया जा रहा है। इस मामले पर कलेक्टर अवनीश शरण ने भी खाद्य विभाग को मैदानी इलाकों में जाकर जांच करने के निर्देश दिया है।

कलेक्टर ने शासकीय लोचन प्रसाद पांडेय कॉलेज सारंगढ़ का किया निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने शुक्रवार को शासकीय लोचन प्रसाद पांडेय कॉलेज सारंगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कॉलेज में संचालित हो रहे कक्षा, कॉलेज कैंपस और लाइब्रेरी निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने प्राचार्य डॉ डी आर लहरे से शिक्षकों की स्थिति, अब तक किए गए कोर्स की पढ़ाई और विभिन्न गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने इस दौरान कालेज के विद्यार्थियों से परिचय के संबंध में बात की। इस अवसर पर परियोजना निदेशक पंचायत हरिशंकर चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद पटेल, पत्रकारगण उपस्थित थे।

नौकरी के नाम पर राशि देने वालों के खिलाफ भी होगी कार्यवाई : हाई कोर्ट

कोरबा । आरएनएस

नौकरी लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों से हाई कोर्ट भी चिंतित नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा ने एक बार फिर प्रदेशवासियों से अपील की है और सावधानी बरतने की हिदायत भी दी है। रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है कि नौकरी लगाने के नाम पर किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए और ना ही किसी को राशि ही दें। नौकरी के नाम पर राशि देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा ने जारी प्रपत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को सूचित किया गया था कि न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें, अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।रजिस्ट्रार जनरल ने जारी प्रपत्र में लिखा है कि आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। लिहाजा आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनरू सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ हाई कोर्ट बिलासपुर, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा इस तरह के कोई भी कृत्य करने से बचें। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने चेतावनी देते हुए कहा कि नौकरी के नाम पर धन राशि देने वाला कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन, आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। नौकरी लगाने के एवज में रुपये एठनें वालों की लगातार शिकायत मिल रही है। नौकरी के लालच व झांसे में आकर अपने जीवनभर की गाढ़ी कमाई लुटा देते हैं। नौकरी नहीं मिलती या फिर फर्जीवाड़े का शिकार होने की भनक लगते ही पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराते हैं,तब तक बहुत विलंब हो जाता है। फर्जीवाड़ा करने वाला अपने मकसद में कामयाब हो जाता है।

कलेक्टर ने छिंद और कटेली के स्कूलों का किया आकस्मिक निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने विगत दिवस सारंगढ़ ब्लॉक के कटेली और छिंद के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कटेली में विद्यार्थियों से कौन सा प्रिय विषय है, पिछले वर्ष में स्कूल के रिजल्ट और गणित कितने विद्यार्थियों के लिए सरल है प्रश्न किए। छात्राओं ने गणित को सरल विषय बताया। कलेक्टर ने कक्षा शिक्षक को उनकी जिम्मेदारी और दायित्व के बारे जानकारी प्रदान करने के लिए कहा। शिक्षक ने जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि कक्षा शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करे। कमजोर विद्यार्थी को सहयोग के लिए होशियार विद्यार्थियों को प्रेरित करें। स्कूल परिसर की साफ सफाई करने वाले विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड बनाएं। कलेक्टर ने स्कूलों की ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में डीईओ और प्राचार्य से चर्चा की।

इसी प्रकार कलेक्टर धर्मेश साहू ने छिंद के स्कूल में विद्यार्थियों को कंप्यूटर क्लास में अपना नाम टाइप करने के लिए कहा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के क्लास को लगभग 7 कंप्यूटर और प्रोजेक्टर को सुसज्जित देखकर प्रसन्न हुए और स्कूल के व्यवस्था को तारीफ की। कलेक्टर ने प्रयोगशाला कक्ष में जाकर वहां के फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सुविधा का अवलोकन किया। उन्होंने कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षकों और विद्यार्थियों से पढ़ाई के संबंध में बातचीत की। कलेक्टर ने दोनों स्कूलों में विद्यार्थियों से किसी प्रकार की असुविधा के बारे में जानकारी ली। छिंद के स्कूल में छात्राओं ने फिजिक्स के टीचर की व्यवस्था के लिए कलेक्टर को निवेदन किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद पटेल, नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान, बीईओ सारंगढ़ रेशम लाल कोसले, एबीईओ मुकेश कुर्रे, सत्येंद्र बसंत सहित अन्य अधिकारी , पत्रकारगण उपस्थित थे।

नशीली टेबलेट सप्लाई करने वाले रायपुर के दो सप्लायर गिरफ्तार

❐ लाखों की नशीली दवाई जब्त

बिलासपुर । आरएनएस

बिलासपुर पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सायबर सेल और सिविल लाईन पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन्जेक्शन और टेबलेट के 2 सप्लॉयर को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से लगभग 31 लाख रूपये कीमत के नशीले इंजेक्शन और टेबलेट ज़ब्त किया है।

बता दें कि थाना सिविल लाइन और सायबर सेल टीम ने बीते 26 सितंबर को कल्पना कुर्रे नामक एक युवती और एक नाबालिग को अवैध रूप से नशे की सामग्री बेचते हुए पकड़ा गया था, तलाशी के दौरान इनके कब्जे से पुलिस ने करीब 896 नग नाईट्राजेपेम टेबलेट (नशीली गोली) बरामद किया था। इसी तरह बीते 22 अक्टूबर को सृष्टि कुर्रे नामक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 150 नग बुप्रेर्नोफिन इंजेक्शन और रेक्सोजेसिक एम्पुल्स ज़ब्त किया था। दोनों प्रकरणों के आरोपियों से पूछताछ की गई। जिसमें उन्होंने रायपुर के रहने वाले विक्रांत सरकार और रविशंकर मरकाम से पार्सल के माध्यम से टेबलेट और एम्पुल्स मंगाने की बात बताई। विक्रांत सरकार और रविशंकर मरकाम द्वारा नशीली टेबलेट की सप्लाई करने की सूचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ सिविल लाइन थाना में धारा 21, 22 नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया और उनकी पतासाजी में जुट गई। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली की दोनों नशीली सामग्री की सप्लाई करने इलेक्ट्रिक कार से बिलासपुर आ रहे है। इसके बाद जैसे ही दोंनो बिलासपुर पहुंचे पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और थाने ले आई। पुलिस ने विक्रांत सरकार और रविशंकर मरकाम के कब्जे से 11 लाख रूपये की 2150 नग नशीली टेबलेट और 20 लाख रुपये की 23648 नग एम्पुल्स बरामद किया है। इसके अलावा नशीली टेबलेट की सप्लाई में प्रयुक्त टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार और दो मोबाइल फ ोन भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों से इन्वेस्टीगेशन कर नशे के कारोबार से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जानकारी इक_ी की जा रही है, जिसपर विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। नशे के कारोबार में संलिप्त अन्य लोगो की जानकारी भी एकत्र कर उनके विरूद्ध भी एण्ड-टू-एण्ड कार्यवाही की जाएगी।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU